रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229205 CG-DL-E-25082021-229205

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3167] No. 3167] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3420(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला नैनीताल के लिए गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, नैनीताल-	अध्यक्ष;
2.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल-	सदस्य;
3.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामनगर-	सदस्य;
4.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी-	सदस्य;
5.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, हल्द्वानी-	सदस्य;

4702 GI/2021 (1)

6.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हल्द्वानी-	सदस्य;
7.	अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल निगम, हल्द्वानी-	सदस्य;
8.	क्षेत्रीय अधिकारी (प्र.), उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, नैनीताल-	सदस्य;
9.	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नैनीताल-	सदस्य;
10	. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी-	सदस्य संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

1. श्री मनोज डागा, सचिव, हिमालयन चैम्बर ऑफ कामर्स- सदस्य;

2. श्री जगदीश नेगी, अध्यक्ष, शिप्रा कल्याण सिमिति- सदस्य;

3. डॉ. नंदा गोपाल साहो, एशोसिएट प्रोफेसर, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल- सदस्य।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3420(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttarakhand State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Nainital comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

1.	District Collector, Nainital-	Chairperson;
2.	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Nainital-	Member;
3.	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Ramnagar-	Member;
4.	Executive Engineer, Public Work Department, Haldwani-	Member;
5.	Executive Engineer, Irrigation Division, Haldwani-	Member;
6.	City Health Officer, Municipal Corporation, Haldwani-	Member;
7.	Executive Engineer, Uttarakhand Pey Jal Nigam, Haldwani-	Member;
8.	Regional Officer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani-	Member;
9.	Project Director, District Rural Development Agency, Nainital-	Member;

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

10. Divisional Forest Officer, East Tarai forest Division, Halwani- Member Convenor.

B. Nominated Members:

- Mr. Manoj Daga, Secretary, Himalayan Chambers of Commerce Member;

 Mr. Jagdish Negi, Chairman, Shipra Kalyan Samiti Member;

 Dr. Nanda Gopal Saho, Associate Professor, Kumaon University, Nainital Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)] ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2021

का.आ. 3421(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला अल्मोड़ा के लिए गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

क. पदेन सदस्यगण

	1.	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा-	अध्यक्ष;
	2.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा-	सदस्य;
	3.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अल्मोड़ा-	सदस्य;
	4.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा-	सदस्य;
	5.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा-	सदस्य;
	6.	अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संसाधन, अल्मोड़ा-	सदस्य;
	7.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय नगरपालिका, परिषद, अल्मोड़ा-	सदस्य ;
	8.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, नैनीताल-	सदस्य;
	9.	परियोजन निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अल्मोड़ा-	सदस्य;
	10.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा-	सदस्य संयोजक ।
碅.	नामित	ा सदस्यगण	
	1.	डॉ. वसुधा पंत, सचिव, ग्रीन हिल्स ट्रस्ट, क्रांति कुटीर पूर्वी पोखरखाली, अल्मोड़ा-	सदस्य;
	2.	डॉ. जगदीश चंद्र कुणियाल, जी.बी. पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट, कोशी कटारमल, अल्मोड़ा-	सदस्य;
	3.	समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र, अल्मोड़ा-	सदस्य ।

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।

- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttarakhand State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Almora comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Collector, Almora-	Chairperson;
2.	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Almora-	Member;
3.	Additional Chief Officer, District Panchayat, Almora-	Member;
4.	Executive Engineer, Public Work Department, Almora-	Member;
5.	Executive Engineer, Irrigation Division, Almora-	Member;
6.	Executive Engineer, Uttarakhand Water Resources, Almora-	Member;
7.	City Health Officer, Municipal Office, Almora-	Member;
8.	Regional Officer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani-	Member;
9.	Project Director, District Rural Development Agency, Almora-	Member;
10.	Divisional Forest Officer, Almora Division, Almora-	Member Convenor.

B. Nominated Members:

1.	Dr. Vashudha Pant, Secretary, Green Hills Trust, Kranti Kutir, East Pokharkhali, Almora-	Member;
2.	Dr. Jagdish Chandra Kuniyal, G.B. Pant Himalayan Institute, Koshi Katarmal, Almora-	Member;
3.	Coordinator, Nehru Yuva Kendra, Almora-	Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

 $[F.\ No.\ Estt.01/2016-17/111/NMCG\ (Vol-II)]$

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2021

का.आ. 3422(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला पिथौरागढ़ के लिए गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ -	अध्यक्ष;
2.	रश्मि सत्याल, प्रधान, ग्राम पंचायत, सत्याल गांव, डीडीहाट-	सदस्य;
3.	श्री प्रदीप गिरी, सदस्य जिला पंचायत, चहज, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़-	सदस्य;
4.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़-	सदस्य;
5.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पिथौरागढ़-	सदस्य;
6.	अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल निगम, पिथौरागढ़-	सदस्य;
7.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़-	सदस्य ;
8.	सहायक पर्यावरण अभियंता, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून-	सदस्य;
9.	परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना, पिथौरागढ़-	सदस्य ;
10.	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़-	सदस्य संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

- 1. श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट (पर्यावरणविद्), अध्यक्ष, हिमालयन ग्राम विकास समिति, फुटसिल, गंगोलीहाट, सदस्यः पिथौरागढ़-
- 2. श्री रवीश जोसी, कुमाऊं एग्रीकल्चर एंड ग्रीनरी एडवाइजमेंट सोसाइटी, पिथौरागढ़- सदस्य;
- 3. श्री राकेश देवलाल, होटल एशोसिएशन, पिथौरागढ़- सदस्य।
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3422(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttarakhand State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Pithoragarh comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Collector, Pithoragarh-	Chairperson;
2.	Rashim Sathyaal, Paradhan, Village Panchayat, Sathyaal Gaon, Didihat-	Member;
3.	Pardeep Giri, Member, District Panchayat, Chahaj, Gangolihaat-	Member;
4.	Executive Engineer, Public Work Department, Berinaag, Pithoragarh-	Member;
5.	Executive Engineer, Irrigation Division, Pithoragarh-	Member;
6.	Executive Engineer, Uttarakhand Jal Nigam, Pithoragarh-	Member;
7.	Chief Medical Officer, Pithoragarh-	Member;
8.	Assistant Environment Engineer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Regional Office, Dehradun-	Member;
9.	Project Manager, Swajal Project, Pithoragarh-	Member;
10.	Divisional Forest Officer, Pithoragarh Forest Division, Pithoragarh-	Member Convenor.

B. Nominated Members:

 Mr. Rajendra Singh Bisht, Chairman, Himalayan Gram Vikas Samiti, Footshil, Gangolihaat Mr. Ravish Josi, Kumaon Agriculture and Greenery Advisement Society (Environmentalist), Pithoragarh-

3. Mr. Rakesh Dev Lal, Hotel Association, Pithoragarh- Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)] ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

यादेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3423(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला चम्पावत के लिए गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, चम्पावत-	अध्यक्ष;
2.	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टनकपुर, चम्पावत-	सदस्य;
3.	दीपा बोहरा, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत, थ्वालखेड़ा, विकास खंड, चम्पावत-	सदस्य;
4.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत-	सदस्य;
5.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, लोहाघाट, चम्पावत-	सदस्य;
6.	मुख्य चिकित्साधिकारी, चंपावत-	सदस्य;
7.	अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल निगम, चम्पावत-	सदस्य;
8.	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत-	सदस्य;
9.	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय	सदस्य;
	हल्द्वानी-	
10.	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत-	सदस्य संयोजक ।
नामित	र सदस्यगण	

ख. नामित सदस्यगण

1.	श्री डी.डी. जोशी, पूर्व प्रोफेसर, चम्पावत-	सदस्य;
2.	श्री राजेंद्र गहतोदी, सामाजिक कार्यकर्ता, चम्पावत-	सदस्य;
3.	श्री प्रदीप शर्मा, ड्दॅटा, लोहाघाट, चम्पावत-	सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3423(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttarakhand State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Champawat comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Collector, Champawat-	Chairperson;
2.	Chairman, Nagar Palika Parishad, Tanakpur-	Member;
3.	Deepa Bohara, Pradhan, village Panchayat, Dwalkheda, Champawat-	Member;
4.	Executive Engineer, Public Work Department, Champawat-	Member;

5.	Executive Engineer, Irrigation Division, Lohaghat, Champawat-	Member;
6.	Chief Medical Officer, Champawat -	Member;
7.	Executive Engineer, Uttarakhand Peyjal Nigam, Champawat-	Member;
8.	Assistant Environment Engineer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Regional Office, Champawat-	Member;
9.	Chief Development Officer, Champawat-	Member;
10.	Divisional Forest Officer, Champawat Division, Champawat-	Member Convenor.

B. Nominated Members:

1.	Mr. D.D. Joshi, Former Professor, Champawat-	Member;
2.	Mr. Rajendra Gehtodi, Social Worker, Champawat-	Member;
3.	Mr. Pradeep Sharma, Dhanta, Lohaghat, Champawat-	Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3424(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला शामली के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, शामली-	अध्यक्ष;
2.	मुख्य विकास अधिकारी, शामली-	सदस्य;
3.	जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली-	सदस्य;
4.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/ नगर पंचायत, शामली-	सदस्य;
5.	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, शामली-	सदस्य;
6.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, शामली-	सदस्य;
7.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली-	सदस्य;
8.	अधिशासी अभियंता, जल निगम, शामली-	सदस्य;
9.	क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शामली-	सदस्य;

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

10. प्रभागीय वनाधिकारी, शामली-

सदस्य व संयोजक।

ख. नामित सदस्यगण

1. डॉ. उमर सैफ पर्यावरण वैज्ञानिक, शामली-

सदस्य:

2. श्री मुस्तकीम सहसंयोजक गंगा विचार मंच नमामि गंगे, शामली-

सदस्य:

3. श्री नरेश कुमार, ग्रामीण जन चेतना एवं संस्कृति उथान समिति, शामली-

सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3424(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Shamli comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Shamli	- Chairperson;
2.	Chief Development Officer, Shamli	- Member;
3.	District Panchayat Raj Officer, Shamli	- Member;
4.	Executive Officer, Municipality or Nagar Panchayat, Shamli	- Member;
5.	Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Shamli	- Member;
6.	Executive Engineer, Irrigation	- Member;
7.	Chief Medical Officer, Shamli	- Member;
8.	Executive Engineer, Jal Nigam, Shamli	- Member;
9.	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Shamli	- Member;
10.	Divisional Forest Officer, Shamli	- Member Convener.

B. Nominated Members:

1.	Dr. Umar Saif, Environmental Scientist, Shamli-;	Member
2.	Shri Mustakim, Co-Convenor, Ganga Vichar Manch, Namami Gange, Shamli-	Member;
3.	Shri Naresh Kumar, Rural Public Consciousness and Culture Uthan Samiti, Shamli-	Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.

- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said
- Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the 4. relevant rules of the State Government.
- The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order. 5.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2021

का.आ. 3425(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला पीलीभीत के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, पीलीभीत-	अध्यक्ष;		
2.	श्रीमती विमला जायसवाल, अध्यक्ष, नगर पालिका, पीलीभीत-	सदस्य;		
3.	श्री नईम अली, ग्राम प्रधान, माधौटांडा-	सदस्य;		
4.	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, पीलीभीत-	सदस्य;		
5.	अधिशासी अभियंता, शारदा सागर खंड, सिंचाई विभाग, पीलीभीत-	सदस्य;		
6.	मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत-	सदस्य;		
7.	अधिशासी अभियंता, जल निगम, पीलीभीत-	सदस्य;		
8.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली-	सदस्य;		
9.	मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत-	सदस्य;		
10.	प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत-	सदस्य व संयोजक ।		
नामित सदस्यगण				

ख. नामित सदस्यगण

1.	श्री आनंद मिश्रा, (एडवोकेट), पर्यावरणविद्-	सदस्य;
2.	श्री रवींद्र प्रताप सिंह लोधी (पूर्व सांसद), पर्यावरणविद्-	सदस्य;
3	श्री संजय कमार अगवाल, चेयरमैन, भारतीय उद्योग संघ के प्रतिनिधि-	सदस्य ।

- नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा। 2.
- जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन 3. करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। 5.

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3425(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Pilibhit comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Pilibhit	- Ch	nairperson;
2.	Smt. Vimala Jaiswal, President, Municipality, Pilibhit	-	Member;
3.	Shri Naeem Ali, Village Head, Madhautanda	-	Member;
4.	Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Pilibhit	-	Member;
5.	Executive Engineer, Sharda Sagar Division, Irrigation Department, Pilibhit	-	Member;
6.	Chief Medical Officer, Pilibhit	-	Member;
7.	Executive Engineer, Jal Nigam, Pilibhit	-	Member;
8.	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bareilly	-	Member;
9.	Chief Development Officer, Pilibhit	-	Member;
10.	Divisional Director, Forest and Wildlife Division, Pilibhit	- N	Member Convener.

B. Nominated Members:

1. Shri Anand Mishra, (Advocate), Environmentalist-

Member;

2. Shri Ravindra Pratap Singh Lodhi (Former Member of Parliament), Environmentalist-

Member;

3. Shri Sanjay Kumar Agarwal, Chairman, Indian Industry Association Representative-

Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3426(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बांदा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

1. जिलाधिकारी. बांदा- अध्यक्ष:

2. मुख्य विकास अधिकारी, बांदा- सदस्य;

3. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, बांदा- सदस्य:

4.	मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा-	सदस्य;
5.	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बांदा-	सदस्य;
6.	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, बांदा-	सदस्य;
7.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, बांदा-	सदस्य;
8.	अधिशासी अभियंता, जल निगम, 16वां शाखा, बांदा-	सदस्य;
9.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, तिंदवारी-	सदस्य;
10.	प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा-	सदस्य व संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

1. श्री पुरुषोत्तम पांडेय (पर्यावरणविद्), मुख्य पोस्ट- अतर्रा- बंदा सदस्य;

2. श्री राजेश कुमार पटेल (पर्यावरणविद्), मुख्य पोस्ट- पिंडारन, बांदा सदस्य;

3. श्री शिवपूजन गुप्ता, (व्यापारी प्रतिनिधि), अलीगंज, बांदा सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3426(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Banda comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

1. District Magistrate, Banda - Chairperson; 2. Chief Development Officer, Banda Member; 3. Additional District Magistrate, Namami Gange, Banda Member; 4. Chief Medical Officer, Banda Member; 5. Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Banda Member: 6. Executive Engineer, Minor Irrigation Department, Banda Member; 7. Regional Officer, Uttar Pradesh Board of Control, Banda Member: 8. Executive Engineer, Jal Nigam, 16th Branch, Banda Member; 9. Executive Officer, Municipality, Tindwari Member: 10. Divisional Forest Officer, Banda Member Convener. [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13

B. Nominated Members:

Shri Purushottam Pandey (Environmentalist), Main Post- Atarra- Banda Member;
 Shri Rajesh Kumar Patel (Environmentalist), Main Post- Pindaran, Banda Member;

 Shri Shivpujan Gupta, a Business Representative, Aliganj, Banda Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

- सदस्य ।

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3427(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला चित्रकूट के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

ख.

2.

3.

1.	जिलाधिकारी, चित्रकूट	- अध्यक्ष;		
2.	मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट	- सदस्य;		
3.	श्री संतोष कुमार गर्ग, सभासद वार्ड नं. 1, हनुमान जी मुहाल, राजापुर, चित्रकूट	- सदस्य;		
4.	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट	- सदस्य;		
5.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई प्रखंड-1 कर्वी, चित्रकूट	- सदस्य;		
6.	मुख्य चिकित्साधिकारी, चित्रकूट	- सदस्य;		
7.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, बांदा	- सदस्य;		
8.	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश यूनीसेफ, जल निगम, कर्वी, चित्रकूट	- सदस्य;		
9.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, राजापुर चित्रकूट	- सदस्य;		
10.	प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट	- सदस्य व संयोजक ।		
. नामित सदस्यगण				
1.	श्री आशीष सिंह रघुवंशी, समाज सेवी लोहदा, पहाड़ी	- सदस्य;		

श्री अजीत सिंह पटेल, समाज सेवी, मिशन रोड, कर्वी, चित्रकृट

श्री संजय सिंह प्रधान बसिला, चित्रकृट

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा सिमिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.–01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Chitrakoot comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Chitrakoot	- (Chairperson;
2.	Chief Development Officer, Chitrakoot	-	Member;
3.	Shri Santosh Kumar Garg, Member, Ward No. 1, Hanuman Ji Muhal, Rajapur, Chitrakoot	-	Member;
4.	Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Chitrakoot	-	Member;
5.	Executive Engineer, Irrigation Block-1 Karvi, Chitrakoot	-	Member;
6.	Chief Medical Officer, Chitrakoot	-	Member;
7.	Regional Officer, Uttar Pradesh Board of Control, Banda	-	Member;
8.	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Karvi, Chitrakoot	-	Member;
9.	Executive Officer, Nagar Panchayat, Rajapur Chitrakoot	-	Member;
10.	Divisional Forest Officer, Chitrakoot	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

1.	Shri Ashish Singh Raghuvanshi, Social Worker, Lohda, Pahari-	Member;
2.	Shri Ajit Singh Patel, Social Worker, Mission Road, Karvi, Chitrakoot-	Member;
3.	Shri Saniay Singh, Pradhan Basila, Chitrakoot-	Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

 $[F.\ No.\ Estt.01/2016-17/111/NMCG\ (Vol-II)]$

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3428(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला हमीरपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, हमीरपुर	- अध्यक्ष;
2.	मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर	- सदस्य;
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी, हमीरपुर	- सदस्य;
4.	उप जिलाधिकारी, हमीरपुर	- सदस्य;
5.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, हमीरपुर	- सदस्य;
6.	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड निर्माण खंड-1 व 2 लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर	- सदस्य;
7.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा	- सदस्य;
8.	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, हमीरपुर	- सदस्य;
9.	अधिशासी अभियंता, जल निगम, हमीरपुर	- सदस्य;
10.	प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर	सदस्य व संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

1.	श्री राजेंद्र वीर सिंह, पर्यावरणविद्	- सदस्य;
2.	श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, स्थानीय उद्योग संघ	- सदस्य;
3.	श्री शिव कुमार, ग्राम प्रधान चंदूपुर	- सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Hamirpur comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

1. District Magistrate, Hamirpur - Chairperson;

2. Chief Development Officer, Hamirpur - Member;

3. Chief Medical Officer, Hamirpur - Member;

4. Deputy District Magistrate, Hamirpur - Member;

5. Executive Officer, Municipality, Hamirpur - Member;

6. Executive Engineer, Provincial Block Construction, Division-1 and 2, Public - Member; Works Department, Hamirpur

7. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Banda - Member;

8. Executive Engineer, Rural Engineering Service, Hamirpur - Member;

9. Executive Engineer, Jal Nigam, Hamirpur - Member;

10. Divisional Forest Officer, Hamirpur - Member Convener.

B. Nominated Members:

1. Shri Rajendra Veer Singh, Environmentalist- Member;

2. Shri Krishna Gopal Agarwal, Representative of Local Industry Association, - Member;

3. Mr. Shiv Kumar, Village Head Chandupur- Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2021

का.आ. 3429(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला संत कबीर नगर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

1. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर - अध्यक्ष;

2. जिला विकास अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, संत कबीर नगर - सदस्य:

3.	नगर पालिका क्षेत्र से प्रतिनिदि, नगर पालिका क्षेत्र, संत कबीर नगर	- सदस्य;
4.	ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत	- सदस्य;
5.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	- सदस्य;
6.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, संत कबीर, नगर	- सदस्य;
7.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, संत कबीर नगर	- सदस्य;
8.	अधिशासी अभियंता, जल निगम, संत कबीर नगर	- सदस्य;
9.	क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, प्रदूषण विभाग, संत कबीर नगर	- सदस्य;
10.	प्रभागीय वन अधिकारी, वन विभाग, संत कबीर नगर	- सदस्य व संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

1.	श्री राज कुमार सिंह, अध्यक्ष, रोटरी क्लब, पर्यावरण विद, संत कबीर नगर	- सदस्य;
2.	कुमारी रीना केसरिया, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, संत कबीर नगर	- सदस्य;
3.	श्री सुभाष शुक्ला, महामंत्री, चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, खलीलाबाद	- सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Sant Kabir Nagar comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Sant Kabir Nagar	- Ch	airperson;
2.	District Development Officer, Office of the District Magistrate, Sant Kabir Nagar	-	Member;
3.	Representative from Municipality Area, Municipality Area, Sant Kabir Nagar	-	Member;
4.	Gram Panchayat, Authorized Representative	-	Member;
5.	Executive Engineer, Public Works Department	-	Member;
6.	Executive Engineer, Irrigation Department, Sant Kabir Nagar	-	Member;
7.	Chief Medical Officer, District Hospital, Sant Kabir Nagar	-	Member;
8.	Executive Engineer, Jal Nigam, Sant Kabir Nagar	-	Member;

Member;

- 9. Regional Pollution Officer, Pollution Department, Sant Kabir Nagar
- 10. Divisional Forest Officer, Forest Department, Sant Kabir Nagar

- Member Convener.

B. Nominated Members:

1. Shri Raj Kumar Singh, President, Rotary Club, Environmentalist, Sant Kabir Nagar- Member;

2. Kumari Reena Kesaria, District Youth Officer, Nehru Yuva Kendra, Sant Kabir Nagar- Member;

3. Shri Subhash Shukla, General Secretary, Chamber of Industries, Khalilabad- Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3430(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गौतम बुद्ध नगर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

~~

1.	जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर	- अध्यक्ष;
2.	मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतम बुद्ध नगर	- सदस्य;
3.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (नोडल), गौतम बुद्ध नगर	- सदस्य;
4.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग (नोडल), गौतम बुद्ध नगर	- सदस्य;
5.	अधिशासी अभियंता, जल निगम, गौतम बुद्ध नगर	- सदस्य;
6.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा	- सदस्य;
7.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा	- सदस्य;
8.	जनरल मैनेजर, जिला उद्योग विकास भवन	- सदस्य;
9.	जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर	- सदस्य;
10.	प्रभागीय वनाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर	- सदस्य व संयोजक ।
_		

ख. नामित सदस्यगण

1. डॉ. उपासना सिंह, ह्यूमन टच फाउंडेशन, ग्रेटर नोएडा - सदस्य;

2. श्री मनु भटनागर, प्रधान निर्देशक (प्राकृतिक विरासत प्रभाग) इंटैक - सदस्य;

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 19

3. अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ, सीएफ़सी भवन, सरजपुर, ग्रेटर नोएडा

- सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. –01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] रोजी अग्रवाल. कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3430(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Gautam budha Nagar comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Gautam Budh Nagar	- (Chairperson;
2.	Chief Medical Officer, Gautam Buddha Nagar	-	Member;
3.	Executive Engineer, Public Works Department (Nodal), Gautam Buddha Nagar	-	Member;
4.	Executive Engineer, Irrigation Department (Nodal), Gautam Buddha Nagar	-	Member;
5.	Executive Engineer, Jal Nigam, Gautam Buddha Nagar	-	Member;
6.	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Noida	-	Member;
7.	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Greater Noida	-	Member;
8.	General Manager, District Industries Development Building	-	Member;
9.	District Panchayat Raj Officer, Gautam Buddha Nagar	-	Member;
10.	Divisional Forest Officer, Gautam Buddha Nagar	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

1. Dr. Upasana Singh, Human Touch Foundation, Greater Noida- Member;

- 2. Shri Manu Bhatnagar, Principal Director (Natural Heritage Division), Indian National Member; Trust for Art and Cultural Heritage -
- 3. President, Indian Industry Association, CFC Bhawan, Surajpur, Greater Noida-Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)] ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2021

का.आ. 3431(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कुशीनगर के लिए जिला गंगा सरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, कुशीनगर	- अध्यक्ष;
2.	जिला पंचायत राज अधिकारी, कुशीनगर	- सदस्य;
3.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, कुशीनगर (नोडल नगर पालिका)	- सदस्य;
4.	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग, कुशीनगर	- सदस्य;
5.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, कुशीनगर	- सदस्य;
6.	मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर	- सदस्य;
7.	अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियन्ण विभाग, गोरखपुर	- सदस्य;
8.	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कुशीनगर	- सदस्य;
9.	क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर	- सदस्य;
10.	प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कुशीनगर	- सदस्य व संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

- श्री रामाशीष जायसवाल अध्यक्ष औद्योगिक संस्थान पडरौना, कुशीनगर सदस्य;
- 2. श्री डॉ. चतुर्भुज सिंह, विवेका नंद विद्यालय मैत्रीपुरम मुसहर टोली बेलवा जंगल, पडरौना सदस्य;
- 3. डॉ. रवीश सिंह, सावित्री सेवा संस्थान तितला, हाटा कुशीनगर सदस्य।
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Kushinagar comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1. District Magistrate, Kushinagar - Chairperson;

District Panchayat Raj Officer, Kushinagar - Member;

3. Executive Officer Municipality, Kushinagar (Nodal Municipality) - Member;

4. Executive Engineer, Construction Division Public Works Department, - Member; Kushinagar

5. Executive Engineer, Irrigation Department, Kushinagar - Member;

6. Chief Medical Officer, Kushinagar - Member;

7. Executive Engineer, Rural Engineering Department, Gorakhpur - Member;

8. Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Kushinagar - Member;

9. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Gorakhpur - Member;

Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Kushinagar
 Member Convener.

B. Nominated Members:

1. Shri Ramashish Jaiswal, President Industrial Institute, Padrauna, Kushinagar- Member;

2. Dr. Chaturbhuj Singh, Viveka Nand Vidyalaya, Maithripuram, Musahar Toli, Belwa Member; Jungle, Padrauna-

3. Dr. Ravish Singh, Savitri Seva Sansthan Titli, Hata, Kushinagar- Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

- सदस्य:

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3432(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सहारनपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

3.

जिलाधिकारी, सहारनपुर - अध्यक्ष;
 श्री विपिन गर्ग, नाम निर्दिष्ट सदस्य, नगर पालिका परिषद, देवबंद, सहारनपुर - सदस्य:

्र अधिशासी अभियंता, प्रातीय खंड, लोग निर्माण विभाग, सहारनपुर - सदस्य

अधिशासी अभियंता, अपर खंड पूर्वी, नहर, सहारनपुर

4. आधशासा आभयता, प्राताय खड, लाग निमाण विभाग, सहारनपुर - सदस्य;

5. मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर - सदस्य;

6. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर - सदस्य;

- अधिशासी अभियंता, निर्माण इकाई, जल निगम, सहारनपुर सदस्य;
 मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर सदस्य;
 श्री रविंद्र मिगलानी, अध्यक्ष, उद्योग संघ, सहारनपुर सदस्य:
- 10. प्रभागीय निदेशक, सा.वा. प्रभाग, सहारनपुर सदस्य व संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

- 1. डॉ. उमर सैफ, पर्यावरण वैज्ञानिक, सहारनपुर सदस्य:
- 2. श्री ए.सी. पपनेजा, पर्यावरणविद्, सहारनपुर सदस्य:
- प्रो. जलाल उमर, सेवानृवित्ति प्रधानाचार्य, इस्लामिया इंटर कॉलेज, सहारनपुर सदस्य ।
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा सिमिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttar Pradesh State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Saharanpur comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Saharanpur	- Cł	nairperson;
2.	Shri Vipin Garg, Nominated Member, Nagar Palika Parishad, Deoband, Saharanpur	-	Member;
3.	Executive Engineer, Upper Division Eastern, Canal, Saharanpur	-	Member;
4.	Executive Engineer, Regional Division, People Works Department, Saharanpur	-	Member;
5.	Chief Medical Officer, Saharanpur	-	Member;
6.	Regional Officer, Pollution Control Board, Saharanpur	-	Member;
7.	Executive Engineer, Construction Unit, Jal Nigam, Saharanpur	-	Member;
8.	Chief Development Officer, Saharanpur	-	Member;
9.	Mr. Ravindra Miglani, President, Industry Association, Saharanpur	-	Member;
10.	Divisional Director, S.W. Division, Saharanpur	-]	Member Convener.

B. Nominated Members:

1.	Dr. Umar Saif, Environmental Scientist, Saharanpur-	Member;
2.	Mr. A.C. Papneja, Environmentalist, Saharanpur-	Member;
3.	Professor Jalal Umar, Retired Principal, Islamia Inter College, Saharanpur-	Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3433(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला अरिया के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, अररिया	- अध्यक्ष;
2.	कार्यपालिका पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया	- सदस्य;
3.	श्री दिवाकर विश्वास, मुखिया, ग्राम पंचायत, रमई, फारबिसगंज, जिला- अररिया	- सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण कार्य, अररिया	- सदस्य;
5.	कार्यपालिका अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, अररिया	- सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, अररिया	- सदस्य;
7.	जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, अररिया	- सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि, अररिया	- सदस्य;
9.	श्री दिलीप कुमार, वरीय उप समाहर्ता, अररिया	- सदस्य;
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया, वन प्रमंडल, अररिया	- सदस्य व
		संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

- 1. श्री सुदन सहाय, ग्राम-पो. काली बाजार, प्रखंड- अररिया, जिला अररिया सदस्य;
- कर्नल अजीत दत्त (पूर्व सैनिक), सा.-प्रोफेसर कॉलोनी (सत्या कुटी), फारबिसगंज, प्रखंड- सदस्य, फारबिसगंज, जिला- अररिया
 संयोजक:
- श्री राम गोपाल गोयल, प्रो. अशोक ट्रेडिंग कंपनी, चकरदाहा राईस मिल, फारबिसगंज, जिला- सदस्य। अरिया
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अविध के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Araria comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Araria	- Ch	airperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Araria	-	Member;
3.	Shri Diwakar Vishwas, Mukhiya, Gram Panchayat, Ramai, Forbesganj, Araria	-	Member;
4.	Executive Engineer, Public works, Araria	-	Member;
5.	Executive Engineer, Flood Control Division, Araria	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering, Araria	-	Member;
7.	District Panchayat Raj Officer, Araria	-	Member;
8.	Representative of the State Pollution Control Board, Araria	-	Member;
9.	Shri Dilip Kumar, Senior Deputy Collector, Araria	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Araria, Forest Division, Araria	- Member	Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Shri Sudan Sahai, Village and Post- Kali Bazar, Block- Araria, Araria. Member;
- 2. Colonel Ajit Dutt (Ex-servicemen) Professor Colony (Satya Kuti), Forbesganj, Block-Member; Forbesganj, Araria-
- 3. Shri Ram Gopal Goyal, Ashok Trading Company, Chakardaha Rice Mill, Forbesganj,
 ArariaMember.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- **3.** The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3434(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला अरवल के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, अरवल	- अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण, अरवल प्रमंडल, अरवल	- सदस्य;
3.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, अरवल	- सदस्य;
4.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि, अरवल	- सदस्य;
5.	प्रधान परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत अमरा प्रखंड, अरवल	- सदस्य;
6.	जिला योजना पदाधिकारी, अरवल	- सदस्य;
7.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल अरवल	- सदस्य;
8.	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, अरवल	- सदस्य;
9.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल	- सदस्य;
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद प्रमंडल, अरवल	- सदस्य व
		संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

- श्री दीपक कुमार, प्राचार्य, शिवदेनी साव महाविद्यालय, कलेर, अरवल सदस्य;
 श्री भुनेश्वर कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, अरवल सदस्य;
- 3. श्री बवन पासवान, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरवल सदस्य ।
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा |
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central

Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Arwal comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Arwal	- Chairperson;
2.	Executive Engineer, Public Works, Arwal Division, Arwal	- Member;
3.	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Arwal	- Member;
4.	Representative of the State Pollution Control Board, Arwal	- Member;
5.	Principal Consultative Committee, Gram Panchayat, Block Amra, Arwal	- Member;
6.	District Planning Officer, Arwal	- Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Division, Arwal	- Member;
8.	Executive Engineer, Minor Irrigation Department, Arwal	- Member;
9.	Executive Officer, Municipal Council, Arwal	- Member;
10.	Forest Divisional Officer, Aurangabad Division, Arwal	- Member Convener.

B. Nominated Members:

1. Mr. Deepak Kumar, Principal, Shivdeni Sav Mahavidyalaya, Kler, Arwal- Member;

2. Shri Bhuneshwar Kumar, Senior Journalist, Arwal - Member;

3. Mr. Bawan Paswan, President, Chamber of Commerce, Arwal-

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- **3.** The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- **5.** The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)] ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3435(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला औरंगाबाद के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद - अध्यक्ष;
 कार्यपालिका पदाधिकारी, नगर परिषद औरंगाबाद - सदस्य;
 श्री रामाश्रय शर्मा अध्यक्ष, ग्राम-पंचायत परामर्शी समिति, ग्राम—ंचायत महुऑव, प्रखंड-ओबरा - सदस्य;
 कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद - सदस्य;
 कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद - सदस्य;

6.	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद	- सदस्य;
7.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद	- सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/माननीय मुख्य पार्षद, नगर परिषद, औरंगाबाद	- सदस्य;
9.	अपर समाहर्ता सह-अपर जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद	- सदस्य;
10.	. वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद	- सदस्य व संयोजक ।
ख. ना	मित सदस्यगण	
1.	श्री राजेंद्र उपाध्याय अवकाश प्राप्त, कृषि वैज्ञानिक न्यू एरिया चित्तौड़नगर औरंगाबाद	- सदस्य;
2.	श्री जगन्नाथ सिंह, अध्यक्ष, बिहार, पेंशनर समाज औरंगाबाद	- सदस्य;
3.	निदेशक, शारदा प्रसाद सिंह, सर्वश्री राधे कृष्ण एग्रो प्रोसेसिंग प्रा. लि., प्रितमपुर, बारूण, औरंगाबाद	- सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3435(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Aurangabad comprising of the following members, namely:

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Aurangabad	- Chairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Aurangabad	- Member;
3.	Shri Ramashray Sharma, President, Village-Panchayat Consultative Committee, Gram-Chayat Mahuov, Block-Obra	- Member;
4.	Executive Engineer, Public Health Division, Aurangabad	- Member;
5.	Executive Engineer, Son High Level Canal Division, Aurangabad	- Member;
6.	Executive Engineer, Road Construction Department, Work Division, Aurangabad	- Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Department, Work Division, Aurangabad	- Member;
8.	State Pollution Control Board authorised representative or Hon'ble Chief Councilor, Municipal Council, Aurangabad	- Member;
9.	Additional Collector cum Additional District Magistrate, Aurangabad	- Member;
10.	Forest Divisional Officer, Aurangabad	- Member Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Shri Rajendra Upadhyay (retired), Agricultural Scientist, New Area Chittornagar, Member; Aurangabad-
- 2. Shri Jagannath Singh, President, Bihar, Pensioners Society, Aurangabad-

Member:

3. Director, Sharda Prasad Singh, Sarvshree Radhe Krishna Agro Processing Private Limited, Pritampur, Barun, Aurangabad-

Member.

- सदस्य व संयोजक।

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- **5.** The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2021

का.आ. 3436(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला बांका के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, बांका	- अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बांका	- सदस्य;
3.	प्रमुख पंचायत समिति, प्रखंड-बांका	- सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण, बांका	- सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बांका	- सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, बांका	- सदस्य;
7.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका	- सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/माननीय मुख्य पार्षद नगर परिषद, बांका	- सदस्य;
9.	निदेशक, डी.आर.डी.ए. बांका	- सदस्य;

ख. नामित सदस्यगण

10. वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका

- प्रो. उग्र मोहन दास व्याख्याता डी.एन. सिंह कॉलेज भूसिया, रजौन। सदस्य;
 प्रो. अनिल कुमार राव, व्याख्याता (भूगोल) डी.एन. सिंह कॉलेज भूसिया, रजौन सदस्य;
 श्री राजेश कुमार भारती, प्रोपराईटर, मेसर्स प्रिया प्लास्टिक, बाराहाट, बांका सदस्य।
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Banka comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Banka	- Cł	nairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Banka	-	Member;
3.	Pramukh Panchayat Samiti, Block-Banka	-	Member;
4.	Executive Engineer, Public Works, Banka	-	Member;
5.	Executive Engineer, Irrigation Division, Banka	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Banka	-	Member;
7.	District Panchayat Raj Officer, Banka	-	Member;
8.	State Pollution Control Board authorised representative or Honorable Chief Councilor Municipal Council, Banka	-	Member;
9.	Director, Department of Rural Development, Banka	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Bank	- Member	Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Professor Ugra Mohan Das, Lecturer, Deep Narayan Singh College, Bhusia, Rajoun- Member;
- 2. Professor Anil Kumar Rao, Lecturer (Geography) Deep Narayan Singh College Bhusia, Member; Rajoun-
- 3. Mr. Rajesh Kumar Bharti, Proprietor, Messrs Priya Plastics, Barahat, Banka- Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3437(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला गया के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, गया	- अध्यक्ष;
2.	महापौर, नगर निगम, गया	- सदस्य;
3.	मुखिया शादीपुर पंचायत, मानपुर प्रखंड, गया	- सदस्य;
4.	सिविल सर्जन, गया	- सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गया	- सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, गया	- सदस्य;
7.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया	- सदस्य;
8.	जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पदाधिकारी, गया	- सदस्य;
9.	उप विकास आयुक्त, गया	- सदस्य;
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गया	- सदस्य व संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

1.	श्री वृजनन्दन पाठक, पर्यावरणविद्, गया	- सदस्य;
2.	श्री सिकंदर, पर्यावरणविद्, गया	- सदस्य;
3.	श्री अनूप केडिया, गया	- सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Gaya comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1. - Chairperson; District Magistrate, Gaya 2. Mayor, Municipal Corporation, Gaya Member; 3. Mukhiya Shadipur Panchayat, Manpur Block, Gaya Member: 4. Civil Surgeon, Gaya Member; 5. Executive Engineer, Irrigation Division, Gaya Member; 6. Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Gaya Member; 7. Executive Engineer, Rural Works Department, Work Division, Gaya Member; 8. District Pollution Control Board Officer, Gaya Member; 9. Deputy Development Commissioner, Gaya Member; 10. Forest Divisional Officer, Forest Division, Gaya Member Convener.

B. Nominated Members:

Shri Vrijanandan Pathak, Environmentalist, Gaya Shri Sikander, Environmentalist, Gaya Mr. Anoop Kedia, Gaya Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3438(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला गोपालगंज के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	- अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज	- सदस्य;
3.	अरविंद कुमार अध्यक्ष, ग्राम पंचायत परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत- भितभेरवा, प्रखंड- गोपालगंज	- सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गोपालगंज	- सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, गोपालगंज	- सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, नहर प्रमंडल (गंडक), गोपालगंज	- सदस्य;

तिला पंचायती राज पदाधिकारी, गोपालगंज - सदस्य;
 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोपालगंज - सदस्य;
 निदेशक, डी.आर.डी.ए., गोपालगंज - सदस्य;
 वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज - सदस्य; व - संयोजक।

ख. नामित सदस्यगण

- 1. श्री मनीष कुमार, सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज सदस्य:
- 2. श्री मनीष कौशल, भूगोल विभाग, एस.एस. बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोपालगंज सदस्य:
- 3. तारकेश्वर प्रसाद, पेट्रोलिंग ट्रेडिंग, गोपालगंज सदस्य ।
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3438(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Gopalganj comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Gopalganj		- C	hairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Gopalganj		-	Member;
3.	Arvind Kumar President, Gram Panchayat Consultative Committee, Gram Panchayat-Bhitbherwa, Block-Gopalganj		-	Member;
4.	Executive Engineer, Public Works Department, Gopalganj		-	Member;
5.	Executive Engineer, Public Health Engineering, Gopalganj		-	Member;
6.	Executive Engineer, Canal Division (Gandak), Gopalganj		-	Member;
7.	District Panchayati Raj Officer, Gopalganj		-	Member;
8.	State Pollution Control Board, Gopalganj		-	Member;
9.	Director, District Rural Development Agency, Gopalganj		-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Gopalganj	- Me	mber	Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Shri Manish Kumar, Assistant Professor, Department of Geography, Kamala Rai Mahavidyalaya, Member; Gopalganj-
- 2. Shri Manish Kaushal, Department of Geography, S.S. Girls Higher Secondary School, Gopalganj- Member;
- 3. Tarakeswar Prasad, Patrolling Trading, Gopalganj- Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- **3.** The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2021

का.आ. 3439(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला जमुई के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, जमुई			- अध्यक्ष;

- 2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई सदस्य;
- 3. श्री संतोष कुमार, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत, इंदपै, जमुई प्रखंड सदस्य;
- 4. कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जमुई सदस्य;
- 5. कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई सदस्य;
- 6. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, जमुई सदस्य:
- 7. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई सदस्य:
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि सदस्य:
- 9. निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई सदस्य:
- 10. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई सदस्य व संयोजक ।

ख. नामित सदस्यगण

1. प्राचार्य, के.के.एम. कॉलेज, जमुई - सदस्य:

2. प्राचार्य, डी.एस.एम. कॉलेज, जमुई - सदस्य;

श्री राहुल रंजन, श्रमिक स्वावलम्बी सहकारी समिति, भजौर, जमुई
 - सदस्य;

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3439(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Jamui comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Jamui	- Chairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Jamui	- Member;
3.	Shri Santosh Kumar, President, Gram Panchayat Consultative Committee, Gram Panchayat, Indpai, Jamui Block	- Member;
4.	Executive Engineer, Public Works Department, Jamui	- Member;
5.	Executive Engineer, Irrigation Division, Jamui	- Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Jamui	- Member;
7.	District Panchayati Raj Officer, Jamui	- Member;
8.	Representative authorised by the State Pollution Control Board	- Member;
9.	Director, Accounts Administration and Self Employment, District Rural Development Agency, Jamui	- Member;
10.	Forest Divisional Officer, Jamui	- Member Convener.

B. Nominated Members:

1.	Principal, K.K.M. College, Jamui-	Member;
2.	Principal, DSM College, Jamui-	Member
3.	Shri Rahul Ranjan, Shramik Swavalambi Cooperative Society, Bhajaur, Jamui-	Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3440(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला जहानाबाद के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	- अध्यक्ष;
2.	श्री कपिल देव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद	- सदस्य;
3.	श्री दिनेश पुरी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर, जहानाबाद	- सदस्य;
4.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि, जहानाबाद	- सदस्य;
5.	श्री नीरज कुमार कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद	- सदस्य;
6.	श्री संजीव कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद	- सदस्य;
7.	श्री चंद्रभूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि, जहानाबाद	- सदस्य;
8.	श्री पंकज कुमार घोष, निदेशक डीआरडीए, जहानाबाद	- सदस्य;

ख. नामित सदस्यगण

श्री रामावतार निरज, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया-

9.

- 1. डॉ. विनोद कुमार राय, सहायक प्रोफेसर, एस.एस. कॉलेज, जहानाबाद सदस्य;
- 2. श्री प्रवीण दीपक, सहायक प्रोफेसर, एस.एस. कॉलेज जहानाबाद सदस्य:
- 3. श्री कैलास पोद्दार, अध्यक्ष, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जहानाबाद सदस्य ।
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

- सदस्य व संयोजक ।

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Jahanabad comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Jahanabad	- Chairperson;
2.	Mr. Kapil Dev Kumar, Executive Officer, Municipal Council, Jahanabad	- Member;
3.	Shri Dinesh Puri, Executive Officer, Nagar Panchayat, Makhdumpur, Jahanabad	- Member;
4.	Authorised Representative by State Pollution Control Board, Jahanabad	- Member;
5.	Shri Neeraj Kumar Executive Engineer, Building Division, Jahanabad	- Member;
6.	Shri Sanjeev Kumar Singh, Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Jahanabad	- Member;
7.	Authorised Representative by Shri Chandra Bhushan Control Board, Jahanabad	- Member;
8.	Shri Pankaj Kumar Ghosh, Director District Rural Development Agency, Jahanabad	- Member;
9.	Shri Ramavtar Neeraj, Forest Divisional Officer, Gaya	-Member Convener.

B. Nominated Members:

1.	Dr. Vinod Kumar Rai, Assistant Professor, S.S. College, Jahanabad-	Member;
2.	Shri Praveen Deepak, Assistant Professor, S.S. College, Jahanabad-	Member;
3.	Mr. Kailas Poddar, President, Chambers of Commerce, Jahanabad-	Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3441(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला किशनगंज के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	- अध्यक्ष;
2.	श्री दीपक कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, किशनगंज	- सदस्य;
3.	श्री फखरे आलम, मुखिया, ग्राम पंचायत, बेलवा, प्रखंड, किशनगंज	- सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज	- सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, किशनगंज	- सदस्य;

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-1, किशनगंज 6. - सदस्य: कार्यपालक अभियंता. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल. किशनगंज 7. - सदस्य: श्री अमित कुमार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज 8. सदस्य: प्रो. मंजुर आलम, वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज 9 - सदस्य: 10 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, किशनगंज - सदस्य व संयोजक । ख. नामित सदस्यगण 1. मो. शेख आलम, सा. हसीबविला, नया टोला लाइन बाजार, पुर्णियां - सदस्य: डॉ. एस.एस. सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, अर्रावाड़ी, किशनगंज 2. - सदस्य व श्री त्रिलोक चंद जैन, किशनगंज 3. - सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Kishanganj comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Kishanganj	- (Chairperson;
2.	Shri Deepak Kumar, Executive Officer, Municipal Council, Kishanganj	-	Member;
3.	Shri Fakhre Alam, Mukhiya, Gram Panchayat, Belwa Block, Kishanganj	-	Member;
4.	Executive Engineer, Path Division, Kishanganj	-	Member;
5.	Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Kishanganj	-	Member;
6.	Executive Engineer, Rural Works Department, Work Division-1, Kishanganj	-	Member;
7.	Executive Engineer, Public Health Division, Kishanganj	-	Member;
8.	Shri Amit Kumar, District Panchayat Raj Officer, Kishanganj	-	Member;
9.	Professor Manzoor Alam, Senior Deputy Collector, Kishanganj	-	Member;
10.	Area Officer of Forests, Kishanganj	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Mohammad Shekh Alam S. Haseeb Wala, New Tola Line Bazar, Purnia- Member;
- 2. Dr. S.S. Solanki, Assistant Professor, Dr. Kalam Agricultural College, Arrawadi, Kishanganj- Member;
- 3. Shri Trilok Chand Jain, Kishanganj- Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3442(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला मधेपुरा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क. पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	- अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	- सदस्य;
3.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	- सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रमंडल- मधेपुरा	- सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मधेपुरा	- सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधेपुरा	- सदस्य;
7.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, मधेपुरा	- सदस्य;
8.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	- सदस्य;
9.	श्री अभिषेक राज निदेशक डी.आर.डी.ए. मधेपुरा	- सदस्य;
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा	- सदस्य व
		संयोजक ।
ब. नामित	ा सदस्यगण	
1.	प्रो. अरुन कुमार एचओडी, प्राणि विज्ञान विभाग, बीएनएमयू	- सदस्य;
2.	प्रो. नरेश कुमार पीजी विभाग, बीएनएमयू, मधेपुरा	- सदस्य;

3. श्री मनीष सर्राफ, संयोजक मधेपुरा चेंबर ऑफ कॉमर्स

- सदस्य ।
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Madhepura comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Madhepura	- Chairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Madhepura	- Member;
3.	Executive Officer, Nagar Panchayat, Murliganj	- Member;
4.	Executive Engineer, Public Works Department, Division- Madhepura	- Member;
5.	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Madhepura	- Member;
6.	Executive Engineer, Rural Works Division, Madhepura	- Member;
7.	Executive Engineer, Irrigation Department, Madhepura	- Member;
8.	District Panchayat Raj Officer, Madhepura	- Member;
9.	Shri Abhishek Raj, Director, District Rural Development Agency, Madhepura	- Member;
10.	Forest Divisional Officer, Saharsa	- Member Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Professor Arun Kumar, Head of Department, Department of Zoology, B.N. Mandal Member; University, Madhepura-
- 2. Professor Naresh Kumar Post Graduate Department, B.N. Mandal University, Member; Madhepura-
- 3. Mr. Manish Sarraf, Convener, Chamber of Commerce, Madhepura-

Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)] ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3443(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला मधुबनी के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	अध्यक्ष;
2.	नगर आयुक्त, नगर निगम, मधुबनी	सदस्य;
3.	श्रीमती अंजना देवी, मुखिया, सिमरा पंचायत, झंझारपुर	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (पथ), मधुबनी	सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी	सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी	सदस्य;
7.	जिला पंचायत पंचायत पदाधिकारी, मधुबनी	सदस्य;
8.	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि. बोर्ड, बेला औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	सदस्य;
9.	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	सदस्य;
10.	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मधुबनी	सदस्य; व
		संयोजक
ख. नारि	मेत सदस्यगण	
1.	श्री रमेश कुमार, घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ, जगतपुर फुलपरास-राज्य संयोजक, जल-जन- जोड़ो अभियान (पर्यावरणविद्)।	सदस्य;
2.	श्री रामचंद्र मंडल, पूर्व मुखिया, बसीपट्टी पंचायत, मधेपुर मधुबनी (पर्यावरणविद्)	सदस्य;
3.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र मधुबनी	सदस्य;

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3443(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Madhubani comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1	District Market Market	,	71 .
1.	District Magistrate, Madhubani	- (Chairperson;
2.	Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Madhubani	-	Member;
3.	Smt. Anjana Devi, Mukhiya, Simra Panchayat, Jhanjharpur	-	Member;
4.	Executive Engineer, Public Works Department (Path), Madhubani	-	Member;
5.	Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Madhubani	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Division, Madhubani	-	Member;
7.	District Panchayat Panchayat Officer, Madhubani	-	Member;
8.	Regional Officer Bihar State Pollution Control Board, Bela Industrial Area, Muzaffarpur	-	Member;
9.	Deputy Development Commissioner, Madhubani	-	Member;
10.	Forest Field Officer, Madhubani	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Shri Ramesh Kumar, Ghoghardiha Block, Swaraj Vikas Sangh, Jagatpur Phulparas Member; State Convenor, Jal-Jan-Jodo Abhiyan (Environmentalist)-
- 2. Shri Ramchandra Mandal, Former Mukhiya, Basipatti Panchayat, Madhepur, Madhubani Member; (Environmentalist)-
- 3. General Manager, District Industries Center, Madhubani-

Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3444(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे :

T

1. जिलधिकारी, मुजफ्फरपुर अध्यक्ष;

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर सदस्य;

3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सदस्य:

4. सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सदस्य;

5. कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन मुजफ्फरपुर सदस्य;

6. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण मुजफ्फरपुर सदस्य:

7. कार्यपालक अभियंता, आरडब्ल्यूडी ईस्ट-1, ईस्ट-2, पश्चिम मुजफ्फरपुर सदस्य:

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, मुजफ्फरपुर सदस्य;

9. उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर सदस्य:

10. वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सदस्य; व

संयोजक

ख. नामित सदस्यगण

1. श्रीमती आभा सिंह, सहायक प्रोफेसर, वनस्पतिशास्त्र बीआरएबीयू, मुजफ्फरपुर सदस्य:

2. श्री विनोद बैठा, सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य, बीआरएबीयू, मुजफ्फरपुर सदस्य;

3. अध्यक्ष चैxम्बर ऑफ कॉमर्स, मुजफ्फरपुर सदस्य;

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।

- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Muzaffarpur comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1. District Magistrate, Muzaffarpur

- Chairperson;

2. Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Muzaffarpur

Member;

3. District Panchayat Raj Officer, Muzaffarpur

Member;

4.	Civil Surgeon, Muzaffarpur	-	Member;
5.	Executive Engineer, Water Resources Muzaffarpur	-	Member;
6.	Executive Engineer, Flood Control Muzaffarpur	-	Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Department, East-1, East-2, West Muzaffarpur	-	Member;
8.	Executive Engineer, Public Health Engineering Organisation, Muzaffarpur	-	Member;
9.	Deputy Development Commissioner, Muzaffarpur	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Tirhut Forest Division, Muzaffarpur	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Smt. Abha Singh, Assistant Professor Botany, Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar Member; University, Muzaffarpur-
- 2. Shri Vinod Baitha, Assistant Professor, Commerce, Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar Member; University, Muzaffarpur-
- 3. President, Chamber of Commerce, Muzaffarpur-

Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- **5.** The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3445(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II,खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला नालंदा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, नालंदा	अध्यक्ष;
2.	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ	सदस्य;
3.	मो. फकरू जमां, अध्यक्ष, ग्राम परामर्श समिति, सबैत	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहार शरीफ	सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बिहार शरीफ	सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, बिहार शरीफ	सदस्य;
7.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालंदा	सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/माननीय मुख्य पार्षद, नगर निगम, बिहार शरीफ	सदस्य:

9. निदेशक डीआरडीए नालंदा सदस्य:

10. जिला वन पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालंदा सदस्य; व

संयोजक

ख. नामित सदस्यगण

1. विशाल विजय, सहायक प्रोफेसर, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, बिहार शरीफ सदस्य:

2. डॉ. सुमित कुमार एचओडी, वनस्पति विभाग विज्ञान, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ सदस्य:

3. श्री अनिल कुमार अकेला, अध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स, बिहार शरीफ, नालंदा सदस्य:

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Nalanda comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Nalanda	- C	hairperson;
2.	Municipal Commissioner, Nagar, Bihar Sharif	-	Member;
3.	Mohammad Fukru Jamman, Chairman, Village Committee, Sabait	-	Member;
4.	Executive Engineer, Nalanda Bhawan Division, Bihar Sharif	-	Member;
5.	Executive Engineer, Flood Control Division, Bihar Sharif	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Bihar Sharif	-	Member;
7.	District Panchayati Raj Officer, Nalanda	-	Member;
8.	State Pollution Control Board authorised representative or Hon'ble Chief Councilor, Municipal Corporation, Bihar Sharif	-	Member;
9.	Director, District Rural Development Agency, Nalanda	-	Member;
10.	District Forest Officer, Bihar Sharif, Nalanda	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

1. Vishal Vijay, Assistant Professor, Sardar Patel Memorial College, Bihar Sharif- Member;

2. Dr. Sumit Kumar Head of Department, Department of Botany Science, Nalanda College Bihar Member; Sharif-

3. Shri Anil Kumar Akela, President, Chamber of Commerce, Bihar Sharif, Nalanda-

Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3446(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला नवादा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, नवादा	- अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नवादा/नगर पंचायत, हिसुआ	सदस्य;
3.	मुखिया, ग्राम पंचायत पौरा (नवादा सदर)/मल्लिकपुर नेमादरगंज (अकबरपुर)	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा	सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नवादा	सदस्य;
6.	सिविल सर्जन, नवादा	सदस्य;
7.	कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, नवादा	सदस्य;
8.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नवादा	सदस्य;
9.	उप विकास आयुक्त, नवादा	सदस्य;
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा	सदस्य; व
		संयोजक

ख. नामित सदस्यगण

- श्री ए.के. गुप्ता, आर.ओ. क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद सदस्य;
 जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा सदस्य;
- 3. अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नवादा एवं प्रो. ज्याउद्दीन शहजादा केएलएस कॉलेज नवादा सदस्य;
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा सिमिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

- नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी। 4.
- अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। 5.

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3446(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Nawada comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Nawada	- C	hairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Nawada or Nagar Panchayat, Hisua	-	Member;
3.	Mukhiya, Gram Panchayat Paura (Nawada Sadar) or Mallikpur Nemadarganj (Akbarpur)	-	Member;
4.	Executive Engineer, Building Division, Nawada	-	Member;
5.	Executive Engineer, Irrigation Division, Nawada	-	Member;
6.	Civil Surgeon, Nawada	-	Member;
7.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Nawada	-	Member;
8.	Executive Engineer, Rural Works Department, Nawada	-	Member;
9.	Deputy Development Commissioner, Nawada	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Nawada	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

1.	Shri A.K. Gupta, Regional Office, Bihar State Pollution Control Board-	Member;
2.	District Panchayat Raj Officer, Nawada-	Member;
3.	President, Chamber of Commerce, Nawada or Professor Ziauddin Shahzada Kanhai Lal Sahu College, Nawada	Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- 4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3447(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला बेतिया के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, बेतिया	अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया/बगहा	सदस्य;
3.	प्रधान परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत राज मंगलपुर, प्रखंड नौतन	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पथ प्रखंड, बेतिया	सदस्य;
5.	अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग तिरहुत नगर अंचल, बेतिया	सदस्य;
6.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी पश्चिमी चम्पारण, बेतिया	सदस्य;
7.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बेतिया/ नरकटियागंज	सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक पदाधिकारी	सदस्य;
9.	श्री राज कुमार सिन्हा वरीय उप समाहर्ता सह-प्रभारी पर्यटन	सदस्य;
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया	सदस्य; व संयोजक

ख. नामित सदस्यगण

- वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल-1 बेतिया, प. चम्पारण 1. सदस्य; 2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल-2 बेतिया, प. चम्पारण सदस्य:
- श्री आशीष खन्ना कार्यपालक उपाध्यक्ष, मगध सुगर एंड एनर्जी लि. न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, 3. सदस्य; नरकटियागंज
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन 3. करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। 5.

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3447(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Bettiah comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Bettiah	- C	hairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Bettiah or Bagha	-	Member;
3.	Principal Consultative Committee, Gram Panchayat Raj Bhagalpur, Block Nautan	-	Member;
4.	Executive Engineer, Public Works Department, Block Road, Bettiah	-	Member;
5.	Superintendent Engineer, Irrigation Department, Tirhut Nagar Zone, Bettiah	-	Member;
6.	District Panchayat Raj Officer, West Champaran, Bettiah	-	Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Division Bettiah / Narkatiaganj	-	Member;
8.	Representative of State Pollution Control Board.	-	Member;
9.	Shri Raj Kumar Sinha Senior Deputy Collector cum-In-Charge Tourism	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Bettiah Forest Division, Bettiah	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Forest Divisional Officer, Division-1 Bettiah, West Champaran- Member;
- 2. Forest Divisional Officer, Division-2 Bettiah, West Champaran- Member;
- Shri Ashish Khanna, Executive Vice President, Magadh Sugar and Energy Limited, New Member. Swadeshi Sugar Mills, Narkatiaganj-
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- **5.** The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3448(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला पूर्णिया के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1. जिलाधिकारी, पूर्णिया

अध्यक्ष;

	2.	नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया	सदस्य;
	3.	मुखिया, ग्राम पंचायत राज, गांगर, प्रखंड-बायसी, जिला- पूर्णिया	सदस्य;
	4.	सिविल सर्जन पूर्णिया	सदस्य;
	5.	कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया	सदस्य;
	6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, पूर्णिया	सदस्य;
	7.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पूर्णिया	सदस्य;
	8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य;
	9.	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	सदस्य;
	10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, पूर्णिया	सदस्य; व
			संयोजक
ख	ा. नार्व	मेत सदस्यगण	
	1.	प्रो. (डॉ.) बी.एन. पांडेय, पर्यावरणविद्, पूर्णिया	सदस्य;
	2.	प्रो. अंजनी कुमार मिश्रा, पर्यावरणविद्, पूर्णिया	सदस्य;
	3.	अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूर्णिया	सदस्य;
2.		नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।	
3.		जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों	का निष्पादन

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3448(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Purnia comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

2.

3.

करेगी।

1.	District Magistrate, Purnia	- C	hairperson;
2.	Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Purnia	-	Member;
3.	Mukhiya, Gram Panchayat Raj, Gangar, Block-Byasi, Purnia	-	Member;
4.	Civil Surgeon Purnia	-	Member;
5.	Executive Engineer, Water Resources Department, Purnia	_	Member;

6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Organisation, Purnia	-	Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Department, Purnia	-	Member;
8.	Representative of the State Pollution Control Board	-	Member;
9.	Deputy Development Commissioner, Purnia	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Forest Division, Purnia	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- Professor (Dr.) B.N. Pandey, Environmentalist, Purnia Professor Anjani Kumar Mishra, Environmentalist, Purnia President, Chamber of Commerce, Purnia Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- **5.** The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3449(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला रोहतास के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिलाधिकारी, रोहतास	अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डिहरी	सदस्य;
3.	श्रीमती मीरा भारती, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत, चंदनपुरा, तिलौथू	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम	सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, सोन नहर उच्च स्तरीय प्रमंडल, सासाराम	सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सासाराम	सदस्य;
7.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास	सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	उप विकास आयुक्त, रोहतास	सदस्य;
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास	सदस्य; व
		संयोजक

ख. नामित सदस्यगण

1. डॉ. आजरा प्रवीण, एस.पी.जैन कॉलेज, सासाराम सदस्य;

2. डॉ. अशोक कुमार, राधा समता कॉलेज, तिलौथू सदस्य:

3. श्री अमित कश्यप, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिहरी सदस्य:

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा सिमिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Rohtas comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1. District Magistrate, Rohtas - Chairperson; 2. Executive Officer, Municipal Council, Dehri Member: 3. Smt. Meera Bharti, President, Gram Panchayat Consultative Committee, Gram Member; Panchayat, Chandanpura, Tilothu Executive Engineer, Building Division, Sasaram 4. Member; 5. Executive Engineer, Son Canal High Level Division, Sasaram Member: 6. Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Sasaram Member; 7. District Panchayat Raj Officer, Rohtas Member: 8. Representative authorised by the State Pollution Control Board Member; 9. Deputy Development Commissioner, Rohtas Member; 10. Forest Divisional Officer, Rohtas Member Convener.

B. Nominated Members:

- Dr. Azra Praveen, Shanti Prasad.Jain College, Sasaram Dr. Ashok Kumar, Radha Samta College, Tilothu Shri Amit Kashyap, President, Chamber of Commerce, Dehri Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.

- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3450(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला सहरसा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, सहरसा	अध्यक्ष;		
2.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा	सदस्य;		
3.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिमरी बख्तियारपुर	सदस्य;		
4.	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा	सदस्य;		
5.	कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल- सहरासा	सदस्य;		
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सहरसा	सदस्य;		
7.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	सदस्य;		
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/माननीय मुख्य पर्षद, नगर परिषद, सहरसा	सदस्य;		
9.	निदेशक, डी.आर.डी.ए., सहरसा	सदस्य;		
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, सहरसा	सदस्य; व संयोजक		
ख. ना	ख. नामित सदस्यगण			
1.	डॉ. अभय कुमार सहायक प्राध्यापक, रमेश झा महिला, महाविद्यालय, सहरसा	सदस्य;		
2.	डॉ. आनंद मोहन झा, अतिथि शिक्षक, रसायन विभाग, एम.एल.टी. कॉलेज, सहरसा	सदस्य;		

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।

3. अध्यक्ष, कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सहरसा

- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

सदस्य;

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3450(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Saharsa comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Saharsa	- C	hairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Saharsa	-	Member;
3.	Executive Officer, Municipal Council, Simri Bakhtiyarpur	-	Member;
4.	Executive Engineer, Building Division, Saharsa	-	Member;
5.	Executive Engineer, East Koshi Embankment Division, - Saharasa	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Saharsa	-	Member;
7.	District Panchayat Raj Officer, Saharsa	-	Member;
8.	State Pollution Control Board authorised representative or Hon'ble Chief Council, Municipal Council, Saharsa	-	Member;
9.	Director, District Rural Development Agency, Saharsa	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Forest Division, Saharsa	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Dr. Abhay Kumar Assistant Professor, Ramesh Jha Women's College, Saharsa- Member;
- 2. Dr. Anand Mohan Jha, Guest Teacher, Department of Chemistry, M.L.T. College, Saharsa-Member;
- 3. President, Koshi Chamber of Commerce, Saharsa-

Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का.आ. 3451(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला शेखपुरा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा अध्यक्ष;

2. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, शेखपुरा सदस्य;

3.	श्री अवधेश कुमार, प्रखंड प्रमुख, घाटकुसुम्भा	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, शेखपुरा	सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा	सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, शेखपुरा	सदस्य;
7.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, शेखपुरा	सदस्य;
8.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	सदस्य;
9.	अपर समाहर्ता, शेखपुरा	सदस्य;
10.	रेंज ऑफिसर, शेखपुरा	सदस्य; व
		संयोजक
ख. नार्	मेत सदस्यगण	
1.	श्री जनार्दन सिंह, पर्यावरणविद्, ग्राम- नीमी, शेखोपुरसराय	सदस्य;
2.	श्री शिवशंकर प्रसाद, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत-डीहकुसुम्भा	सदस्य;
3.	श्री संजय गोप, प्रबंधक, एस.के.टी.पी.एल. कंपनी शेखपुरा	सदस्य;

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3451(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Shekhpura comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Shekhpura	- Ch	airperson;
2.	Municipal Executive Officer, Municipal Council, Shekhpura	-	Member;
3.	Shri Awadhesh Kumar, Block Head, Ghatkusumbha,	-	Member;
4.	Executive Engineer, Road Construction Department, Shekhpura	-	Member;
5.	Executive Engineer, Irrigation Division, Shekhpura	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Organisation, Shekhpura	-	Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Department, Shekhpura	-	Member;
8.	District Panchayat Raj Officer, Shekhpura	-	Member;

9. Additional Collector, Shekhpura

Member;

10. Range Officer, Shekhpura

Member
 Convener.

B. Nominated Members:

1. Shri Janardan Singh, Environmentalist, Village- Nimi, Shekhopursarai-

Member;

2. Shri Shivshankar Prasad, Ex-Mukhiya, Gram Panchayat-Dihakusumbha-

Member;

3. Shri Sanjay Gop, Manager, S.K.T.P.L. Company Sheikhpura-

Member.

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- **3.** The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- **5.** The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3452(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला शिवहर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, शिवहर	अध्यक्ष;
2.	अध्यक्ष नगर परिषद, शिवहर	सदस्य;
3.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, शिवहर	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर	सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, शिवहर	सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई.डी., शिवहर	सदस्य;
7.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, शिवहर	सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	उप विकास आयुक्त, शिवहर	सदस्य;
10.	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, शिवहर	सदस्य; व
		संयोजक

ख. नामित सदस्यगण

1. श्री चंदन सिंह तोमर, शिक्षक, श्री राम खेलावन जंगी उ.मा.वि. कुशहर

सदस्य;

2. श्री राधेश्याम पासवान, शिक्षक रा. श्री गोकुल जगत उ.मा.वि. नरवारा

सदस्य:

3 अध्यक्ष चैंम्बर ऑफ कॉमर्स, शिवहर

सदस्य:

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3452(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Sheohar comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Sheohar	- (Chairperson;
2.	Presidents Municipal Council, Sheohar	-	Member;
3.	Executive Officer, Municipal Council, Sheohar	-	Member;
4.	Executive Engineer, Road Division, Sheohar	-	Member;
~			3.7. 1
5.	Executive Engineer, Minor Irrigation, Sheohar	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Sheohar	-	Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Division, Sheohar	-	Member;
8.	Authorised Representative of State Pollution Control Board	-	Member;
9.	Deputy Development Commissioner, Sheohar	-	Member;
10.	District Forest Divisional Officer, Sheohar	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- Shri Chandan Singh Tomar, Teacher, Shri Ram Khelawan Jangi High School, Kushahar Member;

 Shri Radheshyam Paswan, Teacher, R. Shri Gokul Jagat High School, Narwara Member;

 President, Chamber of Commerce, Sheohar Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3453(अ).— केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला सीतामढ़ी के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

2.

3.

1.	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	अध्यक्ष;		
2.	नगर आयुक्त, नगर निगम, सीतामढ़ी	सदस्य;		
3.	पद्मराज भारद्वाज (पिंटू), मुखिया, ग्राम पंचायत राज बघाड़ी, सुरसंड, सीतामढ़ी	सदस्य;		
4.	सिविल सर्जन, सीतामढ़ी	सदस्य;		
5.	कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सीतामढ़ी	सदस्य;		
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, सीतामढ़ी	सदस्य;		
7.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, सीतामढ़ी	सदस्य;		
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य;		
9.	उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी	सदस्य;		
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, सीतामढ़ी	सदस्य; व		
_		संयोजक		
ख. नामित सदस्यगण				
1.	श्री राम शरण अग्रवाल, पुरातत्व, लखनदेई बचाव संघर्ष समिति, सीतामढ़ी	सदस्य;		

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।

श्री रामशंकर शास्त्री, पत्रकार लखनदेई बचाव संघर्ष समिति, सीतामढ़ी

श्री राजेंद्र कुमार, कला श्री कपरौल रोड़, सीतामढ़ी

- जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

सदस्य:

सदस्य:

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3453(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Sitamarhi comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Sitamarhi	- C	hairperson;
2.	Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Sitamarhi	-	Member;
3.	Padmaraj Bharadwaj (Pintu), Head, Gram Panchayat Raj Baghadi, Sursand, Sitamarhi	-	Member;
4.	Civil Surgeon, Sitamarhi	-	Member;
5.	Executive Engineer, Water Resources Department, Sitamarhi	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Organisation, Sitamarhi	-	Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Department, Sitamarhi	-	Member;
8.	State Pollution Control Board, authorised representative	-	Member;
9.	Deputy Development Commissioner, Sitamarhi	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Forest Division, Sitamarhi	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- Shri Ram Sharan Agrawal, Archaeology, Lakhandei Bachao Sangharsh Samiti, Sitamarhi Shri Ram Shankar Shastri, Journalist, Lakhandei Bachao Sangharsh Samiti, Sitamarhi Mr. Rajendra Kumar, Kala Shree Kaprol Road, Sitamarhi Member.
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- **5.** The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3454(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला सिवान के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, सिवान	अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक अधिकारी, नगर पंचायत, आंदर	सदस्य;
3.	मुखिया, ग्राम पंचायत राज दरौली, प्रखंड- दरौली, जिला- सिवान	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण प्रमंडल, सिवान	सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, सिवान	सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान	सदस्य;

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, सिवान 7. सदस्य: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि सदस्य: उप विकास आयुक्त, सिवान 9. सदस्य: 10. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सिवान सदस्य: व संयोजक ख. नामित सदस्यगण प्रो. डॉ. रामानुज कौशिक डी.ए.वी. पी. कॉलेज, सिवान सदस्य; प्रो. डॉ. रीता कुमारी डी.ए.वी. पी. जी. कॉलेज, सिवान 2. सदस्य: अनुराग कुमार, निदेशक, दृष्टि फूड एंड बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड 3. सदस्य;

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3454(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Siwan comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Siwan	- C	hairperson;
2.	Executive Officer, Nagar Panchayat, Andar	-	Member;
3.	Mukhiya, Gram Panchayat Raj Darauli, Block Darauli, Siwan	-	Member;
4.	Executive Engineer, Road Construction Division, Siwan	-	Member;
5.	Executive Engineer, Public Health Engineering Organisation, Siwan	-	Member;
6.	Executive Engineer, Water Resources Department, Siwan	-	Member;
7.	Executive Engineer, Rural Works Department, Siwan	-	Member;
8.	State Pollution Control Board, authorised representative	-	Member;
9.	Deputy Development Commissioner, Siwan	-	Member;
10.	Field Officer of Forests, Siwan	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- 1. Professor Dr. Ramanuj Kaushik, DAV Post Graduate College, Siwan-Member;
- 2. Professor Dr. Rita Kumari, DAV Post Graduate College, Siwan-Member;
- 3. Anurag Kumar, Director, Drishti Food and Beverages Private Limited-
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- **3.** The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3455(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला सुपौल के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, सुपौल	अध्यक्ष;
2.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल	सदस्य;
3.	शिव शंकर कुमार, अध्यक्ष, ग्राम पंयायत परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत राज दुबियाही प्रखंड-किशनपुर	सदस्य;
4.	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल- सुपौल	सदस्य;
5.	कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल- सुपौल	सदस्य;
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल- सुपौल	सदस्य;
7.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सुपौल	सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/ माननीय मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, सुपौल	सदस्य;
9.	निदेशक, डी.आर.डी.ए., सुपौल	सदस्य;
10.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल	सदस्य; व
	<u></u>	संयोजक

ख. नामित सदस्यगण

- 1. श्री संजीव कुमार सिंह, प्राचार्य, भारत सेवक समाज महाविद्यालय, सुपौल सदस्य;
- 2. प्रो. निखिल कुमार सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह महिला महाविद्यालय, सुपौल सदस्य:
- 3. उद्यमी प्रो. श्री सचिन कुमार, माद्योगढ़िया, मंगलम इंटरप्राईजेज, सिमराही (राधोपुर), सुपौल सदस्य;
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।

- जिला गंगा सुरक्षा सिमिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Supaul comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1.	District Magistrate, Supaul	- (Chairperson;
2.	Executive Officer, Municipal Council, Supaul	-	Member;
3.	Shiv Shankar Kumar, President, Village Panchayat Consultative Committee, Gram Panchayat Raj Dubiyahi, Block-Kishanpur	-	Member;
4.	Executive Engineer, Building Division, Supaul	-	Member;
5.	Executive Engineer, East Embankment Division, Supaul	-	Member;
6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Division - Supaul	-	Member;
7.	District Panchayati Raj Officer, Supaul	-	Member;
8.	State Pollution Control Board, authorised representative or Honorable Chief Councilor, Municipal Council, Supaul	-	Member;
9.	Director, District Rural Development Agency, Supaul	-	Member;
10.	Forest Divisional Officer, Supaul Forest Division, Supaul	-	Member Convener.

B. Nominated Members:

- Shri Sanjeev Kumar Singh, Principal, Bharat Sevak Samaj Mahavidyalaya, Supaul Pro. Nikhil Kumar Singh, Satyendra Narayan Singh Women's College, Supaul Professor Mr. Sachin Kumar, Madyogarhia, Mangalam Enterprises, Simrahi (Radhopur), Supaul
- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2021

का. आ. 3456(अ).—केंद्र सरकार दिनाकं 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा बिहार राज्य के जिला मोतिहारी के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य; शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

1.	जिला पदाधिकारी, मोतिहारी	अध्यक्ष;		
2.	नगर आयुक्त, नगर निगम, मोतिहारी	सदस्य;		
3.	श्री अनिल कुमार अध्यक्ष, ग्राम पंचायत परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत राज परसौनी कपुर, प्रखंड- पताही	सदस्य;		
4.	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी	सदस्य;		
5.	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, प्रमंडल, मोतिहारी	सदस्य;		
6.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी	सदस्य;		
7.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	सदस्य;		
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/माननीय मुख्य पार्षद, नगर निगम मोतिहारी	सदस्य;		
9.	निदेशक, डी.आर.डी.ए., मोतिहारी पूर्वी चम्पारण	सदस्य;		
10.	जिला वन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी	सदस्य; व		
		संयोजक		
ख. नामित सदस्यगण				
1.	श्री पवनेश कुमार वरीय प्राध्यापक, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	सदस्य;		
2.	डॉ. सफिकुर रहमान सहायक प्रोफेसर, मुशी सिंह महाविद्यालय, मोतिहारी	सदस्य;		
3.	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स	सदस्य;		

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. – 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)] रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2021

S.O. 3456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Bihar State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Motihari comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1	1.	District Magistrate, Motihari	- Cł	nairperson;
2	2.	Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Motihari	-	Member;
3	3.	Shri Anil Kumar, President, Gram Panchayat Consultative Committee, Gram Panchayat Raj Parsauni Kapur, Block-Pttahi	-	Member;
2	4.	Executive Engineer, Building Division, Motihari	-	Member;
4	5.	Executive Engineer, Flood Control, Division, Motihari	-	Member;
(6.	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Motihari	-	Member;
7	7.	District Panchayati Raj Officer, East Champaran, Motihar	-	Member;
8	8.	State Pollution Control Board, authorised representative or Honorable Chief Councilor, Municipal Corporation, Motihari	-	Member;
ç	9.	Director, District Rural Development Agency, Motihari East Champaran	-	Member;
B. Nominated Members:				
1.		ri Pavnesh Kumar, Senior Professor, Mahatma Gandhi Central University, East Champaran, otihari-		Member;
2.	Dr.	Safiqur Rahman, Assistant Professor, Musi Singh Mahavidyalaya, Motihari-		Member;
3.	Shr	ri Sudhir Kumar Agrawal, President, Motihari Chamber of Commerce-		Member;

- 2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.
- **4.** Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- **5.** The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)